राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 26.05.2016

संशोधित बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.5.2016 (मंगलवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण की रिपोर्ट सभी एजेन्सी एवं निरीक्षणकर्ताओं से प्राप्त कर जिलों से अनुपालना करायें।

   थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें की निरीक्षणकर्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है उसका टेम्प्लेट पीडी एसएपी–II एवं श्री योजना प्रभारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

   (परि0निदेशक एसएपी–II, श्रीयोजना प्रभारी, एसई,आईएवाई)

2. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वैब साईट का आडिट कार्य शीघ्र पूर्ण करायें तथा इसका भुगतान मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में उपलब्ध 114 करोड रूपये में से कराया जाना है। आवास सैल द्वारा मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के प्रशासनिक मद राशि 114 करोड रूपये का व्यय तथा बचत राशि का हिसाब जिलों से प्राप्त करेंगे।

   (परि0निदेशक एसएपी–I एवं II)

3. आवास योजना

   1. अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना–

   - वर्ष 2015–16 की 100 लाभार्थियों की प्रथम किश्त लम्बित है, उनका तुरंत भुगतान कराया जाये।
   - वर्ष 2015–16 की द्वितीय व तृतीय किश्त कितनी जारी हुई है, प्रगति की समीक्षा।
   - वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृतियॉ जारी करायी जाये।

   2. आवास योजना–

   - वर्ष 2011–12 से लेकर वर्ष 2014–15 तक के सभी अपूर्ण आवासों की समीक्षा।
   - वर्ष 2015–16 में निर्धारित लक्ष्य 84964 में 79615 को पहली किश्त गयी है। शेष को इसी सप्ताह किश्त भेजा जाना सुनिश्चित करें। द्वितीय व तृतीय किश्त की समीक्षा करें।
   - ग्राम सेवकों को मोबाईल एप संचालन हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भारत सरकार से जनरेट कराकर जिलों को उपलब्ध कराये जाए।
   - प्रशासनिक मद में जिलों द्वारा ग्राम सेवकों को उपलब्ध कराये गये मोबाईल फोन/लैपटोप आदि की क्रय व उनके वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कॉन्फ्रेन्स के एजेण्डा बिन्दु में रखी जाए।
   - प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन परिवारों का नाम सैक 2011 की सूची में नहीं है उनका अलग से नाम इन्द्राज कर सूची बनायी गई है। इन परिवारों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार को शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मंत्री, मा0 मुख्यमंत्री महोदया की ओर से 10–10 दिवस के अन्तराल से लिखवाया जाए।

- जिला बाडमेर एवं बीकानरे में आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु दि0 2–13 मई 2016 तक विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है। इसकी समीक्षा प्रस्तुत की जाए।
- आवास योजना में मोडल आवास जिला/पंचायत स्तर पर बनाये जाने थे उसके संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(एसई,आईएवाई)

4. एमपी लैड/एमएलए लैड योजना में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–
   - वर्ष का आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर इन्द्राज हो एवं प्रथम किश्त जारी करायी जाए।
   - वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए।

(पीडी,एसएपी–I)

5. स्वविवेक– वर्ष 2016–17 का आवंटन व वर्ष 2014–15 व 2015–16 प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए।

(पीडी,एसएपी–I)

6. गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना–
   - वर्ष का आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर इन्द्राज हो एवं जिलों को लक्ष्य आवंटित किया जाए।
   - वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए।

(पीडी एमएण्डई)

7. डांग, मगरा, मेवात–
   - वर्ष 2016–17 के जिलों का आवंटन व उनकी वार्षिक कार्ययोजना का अनुदान इसी माह कराया जाए।
   - वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए।

(पीडी,एसएपी–II)

8. बीएडीपी–
   - वर्ष का आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर इन्द्राज हो एवं जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का 31.5.2016 तक अनुमोदन कराया जाए।
   - वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए।

(पीडी,एसएपी–II)

9. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में वर्ष 2016–17 के लिए 50 करोड आवंटन की पत्रावली मुख्य मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।
   - 50 हजार की राशि प्रत्येक आदर्श ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाने के लिए वित्त विभाग द्वारा अस्वीकार किये जाने के संबंध में पुनः पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाये।
   - मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में सर्वे, कार्यशाला, योजना तैयार करने व अन्य प्रशासनिक व्यय को एमएलए लैड योजना में अनुमत कराया जाए।

(परि0निदे0एसएपी–I)

10. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि से 4 प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण आरएसएलडीसी द्वारा किये जाने की प्रगति एवं आरएसएलडीसी के पास प्रशिक्षण मद से 4 करोड का व्यय नहीं किये जाने की समीक्षा की जाए। इसमें मैशन ट्रेनिंग को शामिल किया जाए। इस हेतु आरएसएलडीसी को शासन सचिव महोदय की ओर से पत्र लिखा जाए। श्री जयपाल सिंह एवं श्री हरदीप चौपडा के साथ मैशन ट्रेनिंग हेतु बैठक रखी जाए।

(पीडी एसएपी–II)

11. विधान सभा प्रश्न का निस्तारण अभियान के तौर पर एक सप्ताह में पूर्ण करायें तथा 31 मई 2016 तक लम्बित सभी प्रश्नों के जवाब भिजवायें जाए।

(सं0शा0सचिव, प्रशासन/पीडी/योजना प्रभारी)

12. विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2014–15 व 2015–16 की 25000 से अधिक कार्यो की यूसी/सीसी का समायोजन कराया जाए तथा सम्भाग जयपुर एवं अजमेर का कार्यक्रम 19–25 मई 2016 तक का निर्धारित कर दिया गया। 100 से अधिक बंद पडी योजनाओं की सूची वित्तीय सलाहकार द्वारा तैयार कर ली गई है। यह राशि जिलों से प्राप्त कर वित्त विभाग को जमा करवाई जाये ।

(एसई, आईएवाई, वित्तीय सलाहकार)

13. महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृर्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरू गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व–विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग, एनआईसी एवं बैंको के साथ किये जाने वाले कार्यो के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

14. मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए–
    1. डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा के लिए पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भिजवायी जाए जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2016–17 में एमजेएसए के लिए राशि उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं।
    2. अध्यक्ष, मगरा कार्यालय हेतु आवश्यक स्टाफ एवं श्री योजना के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले एक क0लिपिक एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व वाहन के बारे में पत्रावली प्रस्तुत करें।
    3. श्री योजना के लिए सहायक डाटा एन्ट्री अपरेटर, च0श्रे0कर्मचारी एवं वाहन माह मई में ही उपलब्ध कराया जावे।

    (सं.शा.सचिव,प्रशा., एसई, आईएवाई, पीडी, एसएपी–II)

    4. शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की अद्यतन प्रगति से प्रभारी श्री योजना द्वारा अवगत कराया जाये।

(सं.शा.सचिव,प्रशा., पीडी,एसएपी–II, श्रीयोजना)

15. सीएसआर के लिए आयुक्त, उद्योग विभाग के साथ अग्रिम कार्यवाही की जाए।

(पीडी एमएण्डई)

16. आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में जिओटेगिंग कार्य में गति लायी जाए। इस संबंध में Doit द्वारा कराये जाने वाले जिओटेगिंग कार्य के साथ समायोजन कराया जाए। हेतु एमजेएसए से सम्पर्क कर कार्यवाही करावें।

(पीडी एमएण्डई)

17. गत पीआरसी की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो गया है उनकी अनुपालना रिपोर्ट तैयार की जाए।

(पीडी एमएण्डई)

18. डीआरडीए प्रशासन में कम राशि प्राप्त हुई है। 40 करोड की कमी चल रही है इसके लिए भारत सरकार व वित्त विभाग को पत्र लिखवायें जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

19. जैसेन्दर स्टेशन बाड़मेर की विजिट 2–3 जून 2016 को की जाए।

(पीडी, एसएपी–II, वित्तीय सलाहकार)

20. डांग, मगरा, मेवात एवं बीएडीपी योजना का वार्षिक प्लान इसी माह अप्रुव कराया जाए और इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कांन्फ्रेन्स में एजेण्डा बिन्दु रखा जाए।

(पीडी, एसएपी–II)

21. सीएमआईएस पर दर्ज बजट घोषणा, मुख्यमंत्री निर्देश, सुराज संकल्प के संबंध में सभी अनुभागों को सीधे तौर पर यूजर आईडी, पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में संबंधित योजना प्रभारी प्रत्येक माह की 8 तारीख को रिव्यू किया सुनिश्चित करेंगे।

सीएमआईएस पर दर्ज बजट घोषणा, मुख्यमंत्री निर्देश, सुराज संकल्प के संबंध में राजीविका के साथ अलग से बैठक रखी जाए।

(समस्त योजना प्रभारी)

22. गोचर भूमि विकास बोर्ड के गठन के संबंध में प्रमुख शासन सचिव महो. के स्तर पर निर्णय कराया जाए।

(पीडी, एसएपी–II)

23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॉन्फ्रेन्स के एजेण्डा बिन्दु में एमएलए लैड योजनान्तर्गत लिये जाने वाले नये कार्यो के बारे में सुझाव मांगे जाए।

(पीडी, एसएपी–I)

24. बीपीएल 2011 में अपील के माध्यम से अभी तक नाम जोडे जा रहे है इस संबंध में Secc-2011 की पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को बीपीएल के संबधं में पूर्ण रूप से पुनर्विचार करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाए।

(पीडी एमएण्डई)

25. डांग, मगरा, मेवात एवं बीएडीपी योजना में शामिल ग्रामों/ग्राम पंचायतों की सूची विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाए।

(पीडी, एसएपी–II)

26. मा0 सांसद/विधायकों को लिखे जाने वाले पत्रों में संबंधित योजना प्रभारी ही सुनिश्चित करें कि नाम की स्पेलिंग व पता गलत नहीं हो।

(पीडी, एसएपी–I एवं समस्त योजना प्रभारी)

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–I/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)